भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 349

27 नवंबर, 2024 के लिए प्रश्न

"खाद्य तेल की कीमतों में उछाल"

349. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन कारकों की पहचान की है जिनके कारण हाल ही में खाद्य तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) घरेलू उपभोक्ताओं के रूप में छोटे पैमाने के खाद्य व्यवसायों पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) जी हाँ। **(विस्तृत विवरण अनुबंध-I पर संलग्न है)**

(ख) घरेलू कीमतों में वृद्धि निम्नलिखित कारकों के कारण है;

(i) खाद्य तेलों का घरेलू उत्पादन घरेलू मांग को पूरा करने में असमर्थ है। लगभग **57%** की इस कमी को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। आयातित खाद्य तेलों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप उतराई तक (लैंडेड) लागत में वृद्धि हुई है। **(विस्तृत विवरण अनुबंध-II पर संलग्न है)**

(ii) इसके अलावा, किसानों, प्रोसेसरों और उपभोक्ताओं के हितों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, सरकार समय-समय पर खाद्य तेलों की शुल्क संरचना की समीक्षा और अंशशोधन करती है। सरकार ने घरेलू तिलहन किसानों और तिलहन की कीमतों को समर्थन देने के लिए विभिन्न खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) बढ़ा दिया है। दिनांक 14 सितंबर, 2024 से प्रभावी, कच्चे सोयाबीन तेल, कच्चे पाम तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल सीमा शुल्क को 0% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है, जिससे कच्चे तेल पर प्रभावी शुल्क 27.5% हो गया है। इसके अतिरिक्त, रिफाइंड पाम तेल, रिफाइंड सूरजमुखी तेल और रिफाइंड सोयाबीन तेल पर बीसीडी को

12.5% से बढ़ाकर 32.5% कर दिया गया है, जिससे रिफाइंड तेलों पर प्रभावी शुल्क 35.75% हो गया है।

ये समायोजन सरकार का घरेलू तिलहन किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा हैं, विशेष रूप से अक्तूबर 2024 से सोयाबीन और मूंगफली की जिन नई फसलों के बाजारों में आने की उम्मीद थी।

(ग) घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए, सरकार ने प्रमुख खाद्य तेल संघों को कम शुल्क (अर्थात् 0% और 12.5% मूल सीमा शुल्क) पर आयातित खाद्य तेल स्टॉक की उपलब्धता तक खाद्य तेल की एमआरपी बनाए रखने के लिए एडवाइज़री जारी की थी।

सरकार खाद्य तेलों की अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कीमतों पर बारीकी से निगरानी कर रही है तथा उपभोक्ताओं, घरेलू किसानों और खाद्य तेल उद्योग के हितों को ध्यान में रखते हुए, सरकार कीमतों को किफायती बनाए रखने के लिए आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेप करती है।

लोकसभा में दिनांक 27.11.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 349 के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

अनुबंध।

खाद्य तेल की कीमतें						
वस्तुएँ	खुदरा मूल्य (रुपये/लीटर)					
	एक सप्ताह		एक माह	एक वर्ष		
	20/11/2024	13/11/2024	20/10/2024	20/11/2023	1 माह	1 वर्ष
मूँगफली का तेल	178.0	178.0	175.2	175.3	1.61%	1.53%
सरसों का तेल	152.5	152.0	148.9	125.5	2.38%	21.48%
सोयाबीन तेल	129.9	129.0	125.6	112.8	3.39%	15.19%
सूरजमुखी का तेल	136.4	134.6	128.6	112.5	6.13%	21.29%
आरबीडी पामोलिन	117.9	117.4	112.0	90.4	5.31%	30.39%
वस्तुएँ	थोक मूल्य (रुपये/लीटर)					
	एक सप्ताह		एक माह	एक वर्ष		
	20/11/2024	13/11/2024	20/10/2024	20/11/2023	1 माह	1 वर्ष
मूँगफली का तेल	167.1	167.9	165.7	164.7	0.85%	1.46%
सरसों का तेल	143.2	142.2	139.6	117.6	2.61%	21.74%
सोयाबीन तेल	121.4	120.6	117.5	103.7	3.33%	17.10%
सूरजमुखी का तेल	129.4	127.6	122.1	104.9	6.01%	23.40%
आरबीडी पामोलिन	111.8	110.7	106.1	83.7	5.37%	33.60%
स्त्रोत- डीओसीए						

लोकसभा में दिनांक 27.11.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 349 के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

अनुबंध ॥

अंतर्राष्ट्रीय कीमतें (यूएसडी/मीट्रिक टन)					
वस्तुएँ	एक सप्ताह	एक माह	एक वर्ष		
	20/11/2024	20/10/2024	20/11/2023	1 माह	1 वर्ष
कच्चा सोयाबीन तेल	1155	1085	1020	6.45%	13.24%
कच्चा सूरजमुखी तेल	1195	1085	925	10.14%	29.19%
कच्चा पाम तेल	1235	1100	880	12.27%	40.34%
आरबीडी पामोलिन	1195	1065	865	12.21%	38.15%
स्त्रोत: एसईएआई					